

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT  
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL  
GOVERNMENT (EXCLUDING RAILWAYS) FOR  
THE YEARS 1971-72

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF FINANCE/वित्त मन्त्रालय  
में उपमन्त्री (SHRIMATI SUSHILA  
ROHATGI) Sir, I beg to lay on the Table  
a statement (in English and Hindi) show-  
ing the Supplementary Demands for Grants  
for Expenditure of the Central Govern-  
ment (Excluding Railways) for the year  
1971-72 (August, 1971)

#### EIGHTH REPORT (1971-72) OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश):  
सीमा शुल्क सम्बन्धी राजस्व आय, 1970  
के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)  
के अध्याय 2 के सम्बन्ध में लोक लेखा  
समिति (1971-72) के आठवें प्रतिवेदन  
की एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूँ।

#### THE FINANCE (NO 2) BILL, 1971—contd

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्री-  
मन्, मैं सदन के सम्मानित सदस्यों का यह  
जो देश की आज विचित्र स्थिति है उसकी  
ओर थोड़े में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।  
चाहे कितना ही अच्छा कानून बना लिया  
जाय मगर यदि उन कानूनों की ठीक तरीके  
से उपयोगिता के रूप में करने की स्कीम न  
हो तो उससे जनता का कल्याण नहीं हो  
सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में  
कुछ लोग पहले ही से ऐसा अपने दिमाग  
को बनाकर आते हैं कि जब भी सदन में

कोई सत्य बात कही जाय तो उसपर हल्ला  
जम्बर मचाये। इससे जनतंत्र नहीं चलता।  
जनतंत्र तो विचारों का आदान-प्रदान है।  
जो सही बात जहाँ है अगर उससे फिसल  
कर बहम होगी तो फिर वह जनतंत्रीय वहस  
नहीं है, वह हड़भोग हो जाता है और फिर  
उसमें विचारों का आदान-प्रदान नहीं होता।

यह सरकार आज हम से कुछ टैक  
लगाने का अधिकार चाहती है, कुछ टैक  
बढ़ाने का अधिकार चाहती है। मगर मैं  
पूछना चाहता हूँ कि यदि इस सरकार में  
तर्क भी कर्तव्य-परायणता का ज्ञान है तो  
यह सरकार हमसे क्यों यह अधिकार चाहती  
है कि हम इसमें कुछ टैक्स लगाने और कुछ  
टैक्स बढ़ाने का अधिकार दें। इस सरकार  
के पाम पहले ही से काफी धन है और  
उसका सदुपयोग होना चाहिए। ऐसी सूरत  
में जब वित्त विधेयक पर बोलने के लिये ही  
हम खड़े हुये हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि इतने  
दिन होने के बाद भी जो 60 लाख रुपया  
नागरवाला के कांड के रूप में गया, उस  
रुपये के बारे में आज तक इस सरकार ने  
सफाई के साथ कोई चर्चा क्यों नहीं की।  
श्रीमन्, आप जानते हैं कि जब उस रुपये के  
बारे में बार-बार प्रधान मंत्री का नाम लिया  
जाता है तब भी प्रधान मंत्री के मुखारविंद  
से उस रुपये के सम्बन्ध में आज तक एक  
शब्द नहीं निकला जबकि गली-गली में,  
वूचे-वूचे में इस बात की चर्चा है कि चुनाव  
के लिये यह रुपया निकाला गया।

श्री उपसभापति राजनारायण जी,  
फाइनेंस बिल पर बोलिये।

श्री राजनारायण श्रीमन्, मैं फाइनेंस  
बिल के बारे में ही बोल रहा हूँ। तो मैं यह  
निवेदन करूंगा कि जिस देश का धन इतने

गलत ढंग से खर्च हो रहा हो उस देश की जनता, उस देश की जनप्रतिनिधि सभा समद, को चाहिए कि वह इस सरकार को टैक्स बढ़ाने का अधिकार न दे।

**श्री शीलभद्र याजी (बिहार) :** श्रीमन्, मैं राजनारायण जी में एक बात पूछना चाहता हूँ कि ट्रिस्टुस्तान में कहीं भी चोरी या डकैती हो, तो उसके सम्बन्ध में क्या प्रधान मंत्री यहाँ आकर स्टेटमेंट दे।

**श्री राजनारायण :** मैं शीलभद्र जी को यह बतलाना चाहता हूँ कि यह चोरी या डकैती की बात नहीं हो रही है। चूँकि मैं इसका प्रत्यक्ष जानकार हूँ इसलिए मैं यह कह देना चाहता हूँ कि फाइनेंस विधेयक पर अंतिम चर्चा होने तक इस सरकार को इसकी सफाई देनी चाहिए। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जुरा मंत्री जी दो तीन दिन पहले का जो "स्टेट्समैन" है और उसमें जो लिखा है उसको वे पढ़ ले। दस रुपये के तीन नोट एक ही नम्बर के गुजरात में पकड़े गये और वे जाली नहीं हैं। आज चर्चा यह है कि करीब दो करोड़ रुपये के इस ढग के नोट सरकार की ओर से जारी किये गये, छापे गये, जिसकी जानकारी रिजर्व बैंक को भी नहीं है ये छापे गये लांक सभा के मध्यावधि चुनाव के समय। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार में तनिक भी सच्चाई है, ईमानदारी है, तो इसको बताना चाहिये कि वे नोट कहाँ से आये। एक नम्बर के तीन नोट पकड़ कर आ गये और वे खाली गुजरात में ही नहीं पकड़े गये बल्कि उस तरह के नोट आन्ध्र में मिले, मद्रास में मिले। जब सरकार इस वित्त विधेयक को लाई तो इसका सबसे पहला कर्तव्य यह था कि इस सदन को यह बताती कि ये नोट कैसे पकड़े गये और ये कैसे छपे।

वे जाली नोट नहीं हैं, वे पाकिस्तान के नोट नहीं हैं, वे अमरीका के नोट नहीं हैं, वे नोट तो नासिक में छपे हैं, वे दस रुपये के नोट हैं और उनका नम्बर एक ही है। तीन नोट पकड़ में आ गये, लेकिन केवल तीन नोट ही नहीं हैं। हर जगह इसकी चर्चा है कि पिछले लोक सभा के एलेक्शन के समय 20 करोड़ के नोट छापे गये। सरकार को हमें इस सम्बन्ध में जानकारी देनी चाहिए। इस सदन के सम्मानित सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे इस सम्बन्ध में सरकार में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आज भूपेश जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये नोट कैसे आये, कहाँ से आये...

**श्री भूपेश गुप्त (पश्चिमी बंगाल) :** क्या।

**श्री राजनारायण :** एक ही नम्बर के तीन नोट गुजरात में पकड़े गए। वे नासिक में छपे और गुजरात में पकड़े गये। यह मामला है। यह कैसे आया। वह सरकार का छापाखाना है। सरकार इस के लिए जिम्मेदार है। सरकार सफाई दे और जब तक इसकी सफाई न हो जाय तब तक इस फाइनेंस विधेयक को फेंक देना चाहिये। टैक्स बढ़ाने का कोई अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिए। इसकी सफाई हो और अगर सफाई न हो तो मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कहूँगा कि इसके लिए कोई जांच समिति सदन बैठायें, आप बैठायें कि इस तरह की बगलिग, इस प्रकार की गड़बड़ी अपने मुल्क में कैसे हो रही है। उसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि तमाम खबरों में चर्चा आ गयी, 85 लाख रुपया दिल्ली में पकड़ा गया, 80 लाख रुपया पटना में पकड़ा गया, कहीं 65 लाख रुपया पकड़ा गया। क्या यह समाचार

[श्री राजनारायण]

अखबारों में यू ही निकल जाते हैं, बिल्कुल निराधार? मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में भी इस वित्त विधेयक द्वारा कर बढ़ाने का अधिकार लेने के पूर्व सरकार की ओर से उत्तर होना चाहिए। हमारी जो जानकारी है निजी साधनों से वह यह है कि यह छापे मारे गये और यह चीजे पकड़ में आयी लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग हैं, किसी में कोई कहता है कि श्री बली राम भगत फंसते हैं, कहीं श्री के० के० शाह फंसते हैं, और कहीं कोई कहता है कि कोई फंसता है, कहीं कोई फंसता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आज जो चर्चा हो रही है वह है यह। उसे मैं कहता हूँ और यह इसलिए कि इसकी सफाई होनी चाहिए और सरकार को कहना चाहिये कि यह गलत है।

श्री शीलभद्र याजी : मेरा प्वाइट आफ आर्डर है। इतना यहाँ मिला, इतना यहाँ मिला, सब कहे जा रहे हैं जब कि कहीं कुछ नहीं मिला। इस तरह की बात वह क्यों करते हैं यह मैं जानना चाहता हूँ। यह गलत बात है।

श्री राजनारायण : इसमें हल्ला मचाने की बात क्या है? मैं खुद ही कहता हूँ कि . . .

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT/संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (SHRI OM MEHTA) : Sir, this has been repeatedly denied by the Government in this very House.

श्री उप सभापति : श्री ओम् मेहता ने कहा है इसके बारे में पहले ही इस सदन में इस बात में इंकार किया गया है कि इस तरह का पैसा कहीं मिला है। तो ऐसी हालत में केवल रयूमर की वेसिस पर इस तरह का बयान सदन में देना ठीक नहीं है।

श्री शीलभद्र याजी : उनकी जानकारी अजीब है।

श्री राजनारायण : मैं आप से सीधे कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई प्वाइट आफ आर्डर नहीं है। इसमें सीधी बात है, वित्त विधेयक पर जब चर्चा हो रही है तो इन बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह देश है गांधी जी का। श्री यशवन्त राव चव्हाण या श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के दबाव में हम न बोलें यह नहीं हो सकता। यह क्षमता कोई नहीं रखता कि जो वह चाहे वही हम बोलें। वे हमारे पैर को, हमारे बदन को बेड़ी पहना सकते हैं लेकिन हमारी वारणा को बेड़ी पहनाने की ताकत श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी या चव्हाण जी में नहीं है।

श्रीमन्, आप ने अभी अखबारों में देखा होगा कि कोई एक बड़ा बिजनेस मैन है, उसका एकाउन्ट 74 करोड़ का है। उस ने जब रुपया निकाला तो उसमें ऊपर और नीचे के नोट सही थे और उनके बीच में सादा कागज था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि नोट की गड़ड़ी में यह कैसे हो गया कि इधर-उधर ऊपर और नीचे और नोटों के बीच में सादा कागज हो। बैंकों में यह गड़बड़ क्यों हो रही है और यह गड़बड़ तब हो रही है जब कि बैंक सरकार के हाथ में हैं। सरकार को इन सवालों का जबाब देना

चाहिए, इधर उधर भागने से काम नहीं चलता। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन चीजों के बारे में एक पब्लिक इक्वायरी होनी चाहिए। मेरी डिमांड है कि पब्लिक इक्वायरी हो और जब तक पब्लिक इक्वायरी की रिपोर्ट न आ जाय तब तक यशवन्त राव चव्हाण जी जो टैक्स वगैरह वह पहले लगा चुके हैं उससे ही काम चलाये। आगे इनको टैक्स लगाने और टैक्स बढ़ाने का अधिकार यह सदन न दे।

श्रीमन्, हमारा उसी के साथ-साथ यह कहना है कि मुखाडिया, इस सदन में हमने कई बार इसकी चर्चा उठाई, इस पर कोई अभी उत्तर नहीं आया, सादरी का सोना, श्री लाल बहादुर शास्त्री का वजन उसकी भी सफाई होनी चाहिये। यह नहीं हो सकता कि तमाम लोगों की फाइल प्रधान मंत्री मगाकर के अपने पास रखे और जिस समय उनको सूट करे उसका इस्तेमाल करे और जब उन्हें सूट न करे तो उसका इस्तेमाल न करे। यह सोना देश का सोना था। इसके साथ हमारा कहना है कि जब से बजट आया है तब से इसको देखा जाय कि लगातार कीमते चढ़ रही है, लगातार कीमते बढ़ रही है। कीमतों को रोकने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है। हर चीज महगी हो गई और छूट दी गई है तो विदेशी यात्रा पर छूट दी गई है, छूट दी गई है तो चुरट पर दी गई है। चुरट कौन पीता है? विदेश की यात्रा कौन लोग करते हैं भाई? कोई सामान्य लोग करते हैं? तो जिनकी भी छूट हुई है वह बड़े लोगों को हुई है, धनियों को हुई है, दलालों को हुई है, मक्कारों को हुई है और जो देशभक्त हैं, जा मेहनतकश हैं और जो दौलत पैदा करते हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है। तो मेरा

कहना है कि जब तक इस देश की औसत आमदनी न बढ़े, "बेकारों को काम न हो तब तक सही मानो" में उस सरकार को एक पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं होना चाहिए, इस सरकार को टैक्स बढ़ाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। एप्रोप्रिएशन बिल पाम हो चुका है वह अपना काम चलाये लेकिन यह विधेयक शुद्धतः टैक्स बढ़ाने का विधेयक है, इस विधेयक को हार्जिस न पास करे। अगर सदन इसको पास करके अनुमति देता है, तो सदन के सदस्य स्वतः कतव्यहीन होंगे। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूँ। मैंने बहुत थोड़ा समय लिया क्योंकि हमको जाना है, हम तो इस समय जा रहे हैं मथुरा, इसलिए मैं आप का आभारी हूँ

श्री ओम् मेहता मन्दिरों में जा रहे हो।

श्री राजनारायण : जी हाँ, वहाँ जा रहा हूँ तुम्हारे कुकर्मों को दफनाने।

SHRI BHUPESH GUPTA Where are you going?

श्री राजनारायण : मथुरा।

श्री भूपेश गुप्त : वहाँ क्या है?

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : वहाँ गोपिया है।

श्री राजनारायण : मथुरा में बगला देश को मान्यता देन का सम्मेलन है। हमारे और भूपेश जी में फर्क है। हम कहते हैं कि बगला देश को मान्यता दो और कुर्सी कांग्रेस कहती है, भूपेश गुप्त कहते हैं, कि इन्दिरा जी को मान्यता दो। हम कहते हैं कि बगला देश को मान्यता दो।

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of personal explanation. He said for recognition of Bangla Desh. I fully share his view. But then I do not sometimes understand whether he wants recognition of Bangla Desh or derecognition of Shrimati Indira Gandhi. That is my difficulty.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, देखिए, हमने अपनी अपनी की, भूपेश जी ने स्वतः अपनी की। भूपेश जी की बात को मान कर के आप की बात को शिरोधार्य करके सबने पहले यह किया कि जयप्रकाश जी के साथ सभी लोग मिलकर, सारा राष्ट्र मिल करके बंगला देश को मान्यता दिलाने का मधर्ष करे, फिर हमने एक नान-पार्टी आर्गेनाजेशन बनाई, बंगला देश को मान्यता दो का सम्मेलन किसी दल-विशेष का सम्मेलन नहीं है। हमने बार-बार भूपेश गुप्त को निमंत्रण दिया है अनुनय विनय की है कि आप प्रतिनिधि भेजो लेकिन भूपेश गुप्त ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। कुर्सी कांग्रेस को बार-बार अनुनय विनय की लेकिन कुर्सी कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है।

श्री उपसभापति : आप मथुरा में यह सारी बातें कहना।

श्री राजनारायण : समझा रहा हूँ, उनको सफाई दे दूँ। विपरीत इसके 9 तारीख को यहां पर कुर्सी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। श्रीमन्, जरा हमारा अब सुनिये। हमारे और कुर्सी कांग्रेस में अंतर क्या है। वह प्रदर्शन क्या है। हमारा प्रदर्शन होगा, हमारी सभा होगी, हमारा सत्याग्रह होगा कि बंगला देश को मान्यता दो और 9 तारीख का प्रदर्शन होगा कि इन्दिरा जी को मान्यता दो। हम कहते हैं बंगला देश को मान्यता दो और वह कहते हैं कि इन्दिरा

जी को मान्यता दो। वह प्रदर्शन इसलिए ही हो रहा है कि इन्दिरा की नीतियों के समर्थन में है, इन्दिरा को मान्यता दो इसलिए प्रदर्शन हो रहा है।

वित्त मंत्री (श्री य० व० चव्हाण) :  
फाइनेंस बिल पर बोलो।

श्री राजनारायण : श्री यशवन्त राव चव्हाण, धन्य है गुलामी जेहनियत की। यशवन्त राव चव्हाण, मैं नहीं समझता कि बौद्धिक परतन्त्रता की बेड़ी में इतने जकड़ दिये गए हो। मैं यह नहीं समझता।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने सर्वप्रथम हमें बुला लिया।

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of order. . .

श्री राजनारायण : अगर इनका प्वाइंट आफ आर्डर होगा तो हम बोलेंगे।

श्री उपसभापति : नहीं, आप जाइये।

SHRI BHUPESH GUPTA : He said something. It is true he invited us to a demonstrational meeting. We were not very clear about the date and other things. I am told that Mr. Sanjivayya also was invited.

SHRI RAJNARAIN : Yes.

SHRI BHUPESH GUPTA : We are doing this campaign. The difficulty with Mr. Rajnarain is, you see, he himself is a party, only we are not. That is the difficulty. I have got to take the decision of the party. As far as he is concerned, he says, "Yes, if you do not like the party, I will

call in my name." But I am not so interchangeable as he is.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, देखिए, भूपेश जी कहते हैं फलां पार्टी को मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। हम कहते हैं एक पार्टी की हुकूमत बनाओ। तो सबसे अच्छा तरीका है नान-पार्टी हुकूमत करो।

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Sir, then I want to say another thing. . .

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Please sit down.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** I would not like to participate in a demonstration which is being sought to be exploited by certain parties which were defeated and discredited in the election. For their political come back they want to organise it.

**श्री राजनारायण :** जब जेड० ए० अहमद साहब हार गए कुर्सी कांग्रेस की चेरी बन गए, तो क्या हम समझे कम्युनिस्ट पार्टी की हार हो गई।

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** There should not be any dialogue like that.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Shri Raj-narain has suffered. Never in the history a party has lost all its seats. But I am prepared to go with you, but not with communal parties.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, मैं भूपेश गुप्त से कहना चाहता हूँ।

**श्री उपसभापति :** अब आप मत बोलिए। आप बैठ जाइए।

**श्री राजनारायण :** . . . भूपेश गुप्त राष्ट्रीय मंच का नाम न लिया करें। यह कहना कि सभी तत्त्व मिलकर काम करें, यह केवल क्रोकोडाइल टायर्स हैं, इसीलिए वह नहीं आ रहे हैं हमारे साथ क्योंकि इन्दिरा गांधी उनको खींच रही हैं, उनके रस्सी लगी हुई है। क्या कोई और पार्टी है जिसने बंगला देश के विरोध में प्रस्ताव पास किया? संसोपा ने पटना में कहा कि लोग सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करें, आंदोलन करें, सब कुछ करें, और भूपेश गुप्त कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने. . .

**श्री उपसभापति :** बैठिए। मैंने आप को बोलने के लिए मौका नहीं दिया। बैठ जाइए।

**श्री राजनारायण :** आप इतनी जोर से क्यों बोलते हैं। आप अपनी वाणी को मधुर बनायें, वह कर्कश न लगे।

**श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) :** उपसभापति महोदय, इस फाइनेन्स बिल के विरोध में और पक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस फाइनेन्स बिल में टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है और इसका असर बाजार भाव पर इतना पड़ा है कि करीब करीब सारी चीजें मंहगी हो गई हैं। लेकिन एक बात मैं यहां आपकी तवज्जह में लाना चाहता हूँ कि कृषकों की पैदावार, उसके द्वारा उत्पादित अनाज की कीमतें तो बहुत कम हो गईं। जबकि कृषकों को बाजार से सारी चीजें अधिक कीमत में खरीदनी पड़ती हैं, उनको अपनी चीजें कम मूल्य पर बेचनी पड़ती हैं। अभी कल के अखबार में 'किसान लुट रहा है'

[श्री राम सहाय]

इस हेडिंग का एक लेख निकला, उसमें लिखा था कि बुलदशर में 55 रु० पर क्विन्टल के हिसाब से गेहूँ बिक रहा है। मैं इस हद तक भी ठीक समझता हूँ कि 55 रु० क्विन्टल बिके 100 रु० की बजाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरफ तवज्जह न हो, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। उस लेख में यह भी कहा गया है कि जब उसने इन्स्पेक्टर से कहा कि भाई, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है जो यह गेहूँ 55 रु० के भाव बिक रहा है तो उसने धीरे से उस व्यक्ति को यह जवाब दिया कि अगर तुम 100 रु० दे दो फी गाडी के हिसाब से तो 55 रु० की बजाए 65 रु० कीमत आपको मिल सकती है। यह 'नव-भारत टाइम्स' 4 अगस्त की कटिंग मेरे पास मौजूद है जिसमें ये बातें लिखी हैं। तो मेरी अर्ज यह है कि सरकार अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है और टैक्स बढ़ाते जा रही है। गरीबी हटाओ का जो नारा है, उस नारे से या उसके प्रचार कर देने से गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी तब हट सकती है जब हम स्वयं उन बातों पर अमल करें, उन सिद्धान्तों पर अमल करें जो महात्मा गांधी ने हमें बताया। उस तरह का रहन-सहन हमको रखना चाहिए।

और जिस तरह का रहन-सहन हमको रखना चाहिये और वह बात जो उन्होंने बतलाई है उस पर अमल करें, दूसरे से अमल करने के लिए कहे, तब हम इस मुल्क से गरीबी हटा सकते हैं। अन्यथा आप चाहे जितने भी टैक्स लगा लें, उसका दुरुपयोग करते रहे, फिजूलखर्ची करते रहे, बेकार खर्चा करते रहे, सरकारी कारखानों द्वारा घाटे पर लुटाते रहे, तो इस प्रकार से गरीबी नहीं हटाई जा सकती है। अगर आप एक लाख का टैक्स लगा देते हैं या इससे ज्यादा

का टैक्स लगा देने हैं, तो इस तरह से भी गरीबी नहीं हटाई जा सकती है, अगर इस देश से गरीबी हटानी है तो हमारे मंत्रियों को और लोगों को अपने ऐशो आराम में कुछ कमी करनी पड़ेगी, अपने अखराजात में मितव्ययिता बरतनी पड़ेगी तब ही इस देश से गरीबी हटाई जा सकती है। इस तरह से महज जबानी जमाखर्चा में गरीबी नहीं हटाई जा सकती है और इस तरह का तरीका कामयाबी में नहीं चल सकता है।

आप इस बात पर भी विचार करें कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनमें आजकल अनुशासन-हीनता है, अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है, तो ऐसी हालत में किस प्रकार से देश उन्नति कर सकता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है इसको मैं आपको बतलाना चाहता हूँ और यह बात मैं अपने निजी तजुबों से कहना चाहता हूँ कि शैक्षणिक संस्थाओं को जो अनुदान मिलता है उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं के जो कम-चारी होते हैं वे अनुदान को ता पट्टे के कम दिखलाते हैं और तब उन्हें रिश्वत मिल जाती है तो फिर वे उस ग्रांट को कागजों में ठीक कर देते हैं। जब तक उन्हें रिश्वत नहीं मिलती है तब तक शैक्षणिक संस्थाओं को पूरी ग्रांट नहीं मिलती है। इस तरह से वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है जिसके द्वारा वो लोग मनचाही रकम प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद संस्थाओं को अनुदान मिलता है। मैं अगर मंत्री जी चाहेंगे कई मिनट दे सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की बातें होती हैं।

इतना ही नहीं, आजकल जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, मेडिकल कालेज हैं,

जहाँ पर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हैं वहाँ पर भर्ती के समय बहुत गिड़बत ली जाती है। पहिले तो शान्तिपूर्वक तरीके से प्रिन्सिपल और दूसरे कर्मचारियों के साथ बैठकर मैरिट के लिहाज में विद्यार्थियों को लिया जाता था। अब वहाँ पर उल्टी बात देखने को मिलती है और अब वहाँ पर दूसरा तरीका अख्तियार किया गया है। आज वहाँ पर किसी विद्यार्थी को एडमिशन मिलना मुश्किल है जबतक वह 10, 15 हजार रुपया खर्च न करे।

इसी प्रकार जो पुलिस का महकमा है, उसमें जो पदाधिकारी भर्ती किये जाते हैं उनको आसानी के साथ स्थान नहीं मिलना है, जबतक भर्ती करने वाले कर्मचारियों को काफी रकम नहीं दे दी जाती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हो, अनैतिकता फैली हो, अनुशासनहीनता फैली हो, उस देश का किफ नरह में उद्धार हो सकता है?

आप और वानो को जाने दीजिये, आज हमारे देश में सरकार की ओर से शराब पिलायी जा रही है, सरकार की ओर से जनता को जुग्रा खिलाया जा रहा है और इस तरह से सरकार कार्य करके गरीबी हटाओ का नारा लगाती है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकारों ने जो यह लाटरी शुरू कर दी है वह क्यों की है। आज एक एक मजदूर एक एक रुपये का टिकट खरीदता है, छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वह अपना पेट काटकर एक रुपये का टिकट खरीदते हैं फिर किसी को 5 लाख या 10 लाख का इनाम मिल जाता है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इस तरह से लाटरी चलाकर गरीबी हटा रहे हैं या

अमीनी बढा रहे हैं? यह क्या चीज हमारे देश में हो रही है और सरकार इस चीज को महसूस क्यों नहीं करती है। पहिले सरकार की तरफ से लाटरी नदी चलाई जाती थी और अब क्यों चलाई जा रही है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि सरकार इस तरह से अपना ओर से लाटरी चलाये, और लोगों को शराब पिलाये। जहाँ तक शराब पिलाने का सम्बन्ध है हमारे संविधान में भी, हमारे डाईरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में भी यह दिया हुआ है कि यह चीज बन्द हो जानी चाहिये। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पैसे के प्रलोभन में पड़कर शराब की खुली छूट दे रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इस चीज को रोकती क्यों नहीं है। हमारे देश में जो स्मगलिंग और नाजायज तरीके पर शराब बनाई जाती है उसको यह सरकार रोकता क्यों नहीं है। अगर सरकार इस चीज को नहीं रोक पाती है तो इसका दोष किस के ऊपर है। सरकार इस चीज को तो रोक नहीं पा रही है और जो लोग इस चीज का अनधिकृत व्यापार करते हैं उनको सजा देने के बजाय स्वयं सरकार शराब की छूट दे रही है और मैं ममक्षता हूँ कि यह मुनासिब बात नहीं है। आप देखें कि शराब पीने वाले कौन लोग ज्यादातर हैं। बड़े लोग अपने महलों, बगलों में बैठकर थोड़ी बहुत पी लेते हैं, लेकिन जो गरीब बेचारा दिनभर मजदूरी करता है, जो चमार दो-तीन रुपए रोज कमाता है वह किस तरह अपना पैसा शराब में बर्बाद करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से गरीबी दूर हो सकेगी? महात्मा जी ने जो सिद्धान्त बताया उनके तहत हमारा फर्ज यह था कि हम नशाबन्दी की ओर सख्ती करते



[श्री राम सहाय]

और जो लोग इसके दोषी पाए जाते उनको सख्त सजाए देते और जो कुछ हो सकता था वह किया जाना, लेकिन इस तरह का रवैया रखना कि शराब पीने की छूट दे देना यह बिल्कुल नामुनासिब बात है।

गरीबी हटाओ के नारे के बारे में मैं यह अज कर्ू कि इस सदन में मैं आज 10 साल में मुतवातिर अभूजमाढ़ का किस्सा बयान करता रहा हूँ, जब जब मुझे मौका मिलता है। कल मुझे एक प्रश्न का जवाब मिला, उसमें मैंने यह पूछा था कि अभूजमाढ़ आपका कोई मंत्री या कोई अधिकारी गया तो उसका जवाब मिला कि नहीं गया, मैंने यह भी पूछा था कि क्या भविष्य में जाने का विचार है तो इसका जवाब मिला अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अभूजमाढ़ की यह स्थिति है कि वहाँ की लड़कियाँ जब तक उनके बच्चे नहीं होते तब तक वह अच्छी हालत में रहती है उसके बाद उनको एक कुष्ठ रोग की तरह का चर्म रोग हो जाता है। इसको मैं मुतवातिर कहता आ रहा हूँ और मैं यह अज कर्ू कि केन्द्र की जिम्मेदारी आदिवासियों के प्रति है, लेकिन दुख है कि जब मैंने प्रश्न किया तब जवाब मिला, लेकिन जब जब मैंने भाषण में कहा तब तब उसका जवाब नहीं मिला और न मुझे यह बताया गया कि वहाँ के बारे में क्या किया जा रहा है। एक दफा यह जरूर कहा गया कि वहाँ कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम कर दी गई है। लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम कर देने से ही कोई नतीजा नहीं निकल सकता। वहाँ मैं खुद गया हूँ, वहाँ की हालत मैंने खुद देखी है, वहाँ न पटवारी जाता है, न तहसीलदार जाता है, न पुलिस का चौकीदार जाता है,

वहाँ जंगल है, बीहड़ है, कई दिन पैदल चलकर ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ शेड-यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स के जाँ कमिशनर है उनको भी मैंने कई दफा अर्ज किया, वे भी वहाँ तथरीक नहीं ले गए, न वहाँ केन्द्र वाले जाते हैं, न प्रदेश वाले जाते हैं, वहाँ की हालत को देखते ही नहीं तो वहाँ का सुधार किस प्रकार हो सकता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको नौकरी देने की बातें करते हैं लेकिन अगर आप नौकरी का स्टेटमेंट उठा कर देखें तो मालूम होगा कि आदिवासी लोगों को नौकरा मिलना शून्य के बराबर है, हरिजन बेचारे तो सोमाइटी में भूव करते हैं, वे तो पा जाते हैं, लेकिन आदिवासियों को बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिलती है। मैं यह अज कर्ू कि इस ओर खाम तोर पर ध्यान देने की जरूरत है।

इसी प्रकार मेरा अर्ज करना है कि हरिजनों के प्रति जो सरकार का बर्ताव है वह ठीक नहीं है। जो दरअसल गरीब है, जो बिल्कुल अपाहिज है, जिनके पास कुछ भी नहीं, जिनके पास कपड़े लत्ते भी नहीं हैं, अभूजमाढ़ में मैंने उन माँ बहिनों को नंगे देखा है, कमर से रस्मी बंधी है और उसमें एक छाल का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा योनि ढक्कन के लिए बधा हुआ है। जहाँ यह स्थिति हो वहाँ गरीबी हटाओ के नारे लगाने से उन लोगों का क्या भला हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं यह अज कर्ू कि इस बारे में जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अल्पसंख्यकों के बारे में मैंने कई बार अर्ज किया। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि कई जगह मस्जिदें मन्दिर की शक्ल

में बदल गई है, कई जगह मुसलमान साहबान को, जो सदियों से नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने में रोक दिया गया ।

**श्री शीलभद्र याजी :** यह कहाँ होता है ? आपके सूबे में होता है ? आप जगह का नाम लीजिए ।

**श्री राम सहाय :** मैं आपको आख से दिखा दूंगा । यह न समझिए कि मैं गलत बात कह रहा हूँ, यह इतमीनान रखिए कि जो बात मैं मुह से निकाल रहा हूँ वह आप को ले जाकर दिखा सकता हूँ ।

**श्री शीलभद्र याजी :** पाकिस्तान को मंटर दे रहे है ।

**श्री राम सहाय :** इस तरह से मेरा अर्ज करना है कि जो उनके बुनियादी हकूक है उनकी हम हिफाजत नहीं कर सके हैं । इसलिए चाहे हम इनको प्रेसिडेंट बना दे, चाहे उनको चीफ मिनिस्टर बना दे, आज उनके दिल को सन्तोष नहीं हो सकता ।

आज बंगला देश के सम्बन्ध में बहुत से अखबारों में जो बातें निकली उसका कारण क्या है । उसका कारण दरअसल यह है कि हम उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं कर सके । उनके बुनियादी जो हकूक हैं उनकी तरफ ज़रा भी हमारी तवज्जह नहीं है । आज होता क्या है कि आप एक को राज्य सभा का मेम्बर बना देते हैं और मैं जानता हूँ कि जो राज्य सभा के मेम्बर बने उन्होंने ही मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने में सहायता दी हम इस तरह की बातें करें और उनके बुनियादी हकूक जो हैं उनकी हिफाजत न करें तो आप

निश्चय समझिये कि हम कभी अपने देश का उद्धार नहीं कर सकते हैं ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE/वित्त मंत्रालय में उपसत्री (SHRIMATI SUSHILA ROH-ATGI) . Sir, he is a very respected and honoured Member of this House. May I ask him to clarify and name specifically the particular place where such a thing has been alleged to have taken place ? Otherwise such a thing should not go on record.

**श्री उपसभापति :** वे यह कह रही है कि क्या आप उन जगहों के नाम बतायेंगे ।

**श्री राम सहाय :** मैं नाम बता देता हूँ । म्वालिबर शहर में एक मस्जिद थी जिस को मैंने अपनी आखा से देखा है । उनमें पहले रेफ्यूजी ठहरे थे और बाद में उसका नाम हनुमान मन्दिर रख दिया गया । इसी प्रकार विदिशा में एक विजय मन्दिर है ।

(Interruption by Shri Sheel Bhadra Yajee)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do not interrupt him he is giving information. Why do you interrupt him again and again ?

(Interruptions)

**श्री राम सहाय :** मैं आपको चल कर दिखा दूंगा । आप इतमीनान रखिये कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है । मैं यह भी बतला दूँ कि बहुत पुराने जमाने से जो यह एक मस्जिद थी उसके लिये हम लोगों ने निरंतर 20 साल तक प्रयत्न किया कि उसमें जो दो निमाजे, मुस्लिम साहबान पढ़ते थे उनको वे पढ़ते रहें । जब वहाँ दो निमाजे, लोग

[श्री राम सहाय]

पढ़ते थे तो मैं स्वतः मौजूद रहता था उस जगह पर तब कहीं बहुत मुश्किल से लोग नमाज़ पढ़ पाते थे। वहाँ हिन्दू सभा वालों का सत्याग्रह भी चलता रहा और लोग जेल जाते रहे। लेकिन हम लोग वहाँ से हटे नहीं और इस बात की कोशिश करते रहे कि वे अपनी नमाज़ पढ़ते रहें। हमारा सविधान सेक्युलर है और उसके अनुसार हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनको अपनी नमाज़ पढ़ने दें। हम ऐसा इन्तजाम करें जिससे वे नमाज़ पढ़ सकें। वे कुछ समय तक नमाज़ पढ़ते भी रहे। लेकिन दो-तीन साल हुये जबकि उनका नमाज़ पढ़ना बन्द कर दिया गया। एक पार्टी को फुसला कर और दूसरी पार्टी को एक तरफ रख कर और एक को कुछ रुपये दे कर वहाँ ईदगाह बना दिया गया।

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh): Sir, I had been there to that Vidya Mandir and I think what has been done during the last three years is a very good thing because the place itself is in dispute. It was actually a Vidya Mandir as the hon. Member himself has suggested. Later on, I guess it is true, the Muslim population there was using it as a mosque, but then the arrangement they have now agreed to is that nobody should have any prayers there but it should be treated as a monument. I think it is a very good arrangement.

श्री राम सहाय : मैं अर्ज करूंगा कि आप मेरे साथ चलिये और फिर आपको मालूम होगा कि यह काम किस तरह से हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदियों से वहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही थी।

श्री उपसभापति : आपने गवर्नमेन्ट का

ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित कर दिया है।

श्री राम सहाय : मैं अपनी हर स्पीच में इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसीलिये मैं गुनहगार हूँ कि इन बातों की तरफ मैं तबज्जह दिलाता हूँ। आप ने कहा के बहुत अच्छा काम हुआ, मैं भी कहता हूँ कि अच्छा काम हुआ लेकिन क्या आप ने वहाँ जा कर जाँच की कि इससे पहले वहाँ मुसलमान कब से नमाज़ पढ़ रहे थे ?

श्री गोडे मुराहरि : एक चीज साफ हो जानी चाहिए कि शुरू से वह मंदिर था। उस के बाद वह महिजद बनी। उस के बाद भगडा शुरू हो गया।

श्री राम सहाय : मैंने खुद ही यह बात कही है कि वह विजय मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था। यह मैंने पहले ही अर्ज किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस सेक्युलर गवर्नमेन्ट का दावा करने वाले प्रतिनिधि जो मंदिर मस्जिद बन चुके हैं उन को फिर मंदिर में परिवर्तित कर दें।

श्री गोडे मुराहरि : यह मेरा कहना नहीं है। मैं यह साफ कर दूँ कि मैं यह नहीं चाहता कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उनको मंदिर बना दिया जाय अगर कभी वह मंदिर रहे हो। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कभी कोई एग्जीमेन्ट हो गया है और लोगों ने यह तय किया है कि वहाँ पर कोई पूजा नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं रहेगी, तो फिर उसको रहने देना चाहिए। वह तो मानूमेन्ट बन गया है जो सब के लिए कामन होगा।

श्री राम सहाय : उमकी आपको जानकारी नहीं है। वहाँ पूजा नहीं होती थी। वह तो मस्जिद थी। तो मेरा अर्ज करना यह है कि जब तक हम इन मूलभूत सिद्धांतों को नरफ तबज्जेह नहीं करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे मेरा विचार है कि तब तक चाह जितने टैक्स बढ़ाये जाय उससे कोई लाभ नहीं होगा। अभी हमारे एक मित्र ने जो बताया था कि एक शख्स ने इतने लाख रुपया पैदा किया था लेकिन पल्ले उमके कुछ हजार ही पडा, तो इस तरह की हालत से हमारे देश की समृद्धि नहीं हो सकती है, यही मेरा निवेदन है।

**SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA** (West Bengal) Mr Deputy Chairman, Sir, I stand to support the Bill, but I do not know how the Government is going to meet the situation without making any fresh taxation, as has been given out in the Press by the Finance Minister, and taking note of the fact that only Rs. 60 crores have been provided for the evacuees by way of relief and a very small amount has also been provided for the unemployed. The only thing that seems to be quite likely is that there will be deficit financing and hence inflation. This is a matter which should receive serious consideration of the Finance Minister. The spiral in rising prices should be checked. In a socialist concept of the society that thing should be checked massively if people are to be saved from the clutches of hoarders and profiteers. I appeal to the Finance Minister to cry a halt to rising prices, to cry a halt to inflationary pressures and save the poorest class of people of this country. I must congratulate the Finance Minister for his very kindly conceding to some of my suggestions in the Budget Speech. He has assured me in a letter that since his Budget speech, he has decided to exempt articles, like heart pace maker and such other instruments and medicines which are used to

life saving, from the customs duty. This is a good thing but there is one snag in the whole matter. The Finance Bill came into effect from 1st of April, 1971. But those exemptions have been given from 22nd June. Those who purchased in-between have made representation to the Finance Minister for allowing this exemption from 1st of April, 1971. I think you will consider this also.

Yesterday, my friends from both sides, particularly Mr Kulkarni, was harping on the urgency of production for survival of our national economy. True. I concede. But how that is possible has got to be appreciated. Unless and until there is a sense of social security the workers cannot put their heart into the production because it is the experience of the workers in this country that after a scale of production is reached, the employers say that there is no market, that there is slump, that there is accumulation of stocks, etc. So there must be a lay-off, etc. So where is the guarantee that there will be no retrenchment or lay-off when the workers put their heart in the work and produce more? That is an aspect over which the workers have no control. They can produce but what about the market and the selling machinery? That is another aspect of the matter. Then the workers are anxious to produce when there is assurance of social security but there are occasions when there is dearth of raw materials and mis-management. How can the workers produce in that climate? So efficient management is also an important factor for production. So it is no good saying production first and last. The share of the workers in the system of production and workers participation in the management is also very important and that must be assured.

I shall place before the house certain serious matters in which the Government of India have involved

[Shri Dwijendralal Sen Gupta]

themselves both by way of financial commitment as well as in the management of the private concern. I have before me certain papers relating to the National Rubber Manufacturers Limited and Inchek Tyres Ltd. Calcutta. There was a question by Mr. Indrajit Gupta in the Lok Sabha on 16th July. It was an Unstarred Question No. 5054. The Government has given a reply and the very first sentence was

MR. DEPUTY CHAIRMAN You need not read from the Lok Sabha proceedings. You cannot quote it.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA The answer was 'As per information furnished by the company.' and the Minister in giving his reply gave certain statistics as furnished by the company. The company is now in private management. I say there are 4 Directors—One Managing Director and 3 other Deputy Managing Directors—coming from the same Mookherjee family. Why did you abolish the managing agency system if the matter becomes a family concern and none of them is a technical expert and all the four belong to the same family? I say the answer to the other aspects is incorrect. I do not blame the Government because the information came from the company. Let the Finance Minister kindly take this information. The National Rubber Manufacturers Limited has a net capital employed of Rs. 531.17 lakhs as on 31st December 1969. The break-up analysis is : Mookherjee and their associates, that is to say, those who constituted the Board of Directors have only invested Rs. 39.33 lakhs, that is, 7.40%. Then the Insurance companies and the other financial institutions of the Government have invested Rs. 269.29 lakhs, that is 50.70 %. This is with reference to the National Rubber Manufacturers Limited.

And others went to the small people. As regards Inchek Tyres Ltd., the total

capital employed is Rs. 778.50 lakhs and the break-up analysis is : Messrs. Mookherjee and their associates—Rs. 7.44 lakhs which comes to 0.96 per cent only; National Rubber Manufacturers Ltd. which is the holding company—Rs. 51.99 lakhs, that is, 6.68 per cent; Bank, Insurance Companies and other financial institutions—Rs. 357.95 lakhs, that is, 45.98 per cent. If a particular industrial house with only 0.96 per cent of the total capital invested can run the whole industry, is it not worse than the managing agency system? If a particular industrial house with only 7.40 per cent of the entire investment can run it without having technical experts, what is the sense in crying against monopoly, against the managing agency system and all these things? I have before me also an extract from the 'Economic Times' of 23rd July 1971. The paper says

"Soon after stoppage of work by the officers the production reached 1200 on a single day and thereafter it gradually came down to 300 to 400 pieces a day."

All the officers who were technical experts have resigned and their resignations have been accepted. Now the point is very important. Why have all the officers resigned? Was it in protest against the control of private management? Or was it in protest against mismanagement by the particular house? I want this Government to enquire into this. Now you will find that this is not a solitary case. Yesterday we had an half-an-hour discussion raised by Mr. Kalyan Roy in regard to Sen Releigh Co. I hope the hon. Finance Minister had the benefit of going through that proceedings. That was also an instance of how Government money was being squandered.

I may refer to another case, that is, the case of Smith Stanistreet & Co. I am the President of the Workers' Union there almost since its inception of course after

Dr. Suren Banerjee. Here is a representation by that Union it is dated 7th June 1971 addressed to Mr Moinul Haque Choudhury, hon. Minister in charge of Industrial Development. There was a question put by me to the Industrial Development Ministry but unfortunately that was shifted to Petroleum and Chemicals Ministry I do not know why. Here in this representation it is said .

“The Company which was very prosperous till the last year and could declare almost maximum bonus under the statute and was paying sometimes as high as 27.5% Dividend had a standing of over 150 years is now not able to clear the agency goods and purchase of raw materials and deposit the deducted amount of employees for their Co-operative, Provident Fund, Employees’ State Insurance and Life Insurance Corporation, etc ”

Mr Deputy Chairman, Sir, there is a Director in this Company from the Life Insurance Corporation, and what that Director does I do not know. Forty lakhs have been squandered. This is the concern of the famous Haridas Mundhra

I do not like to add to these instances. But what I want to say is because of faulty working they are not able to clear even the agency goods or make purchases of raw materials. If this is not attended to, the whole thing will go and the workers will be retrenched

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have taken already 15 minutes, You conclude now

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Another company is Bengal Potteries. I am the President of the Workers’ Union. Fifty lakhs of rupees have been financed to them from Government institutions. The Company has declared a lock-out for the last three months. They

want more money from the Government. Why should the Government give them more money and allow them to run it? Having invested Rs 50 lakhs why should not the Government take over its management and run it? I can assure you that the workers will give you 100 per cent production, what was there during private management. Let the Government step in. I have made a representation to the Finance Minister and I have got an acknowledgement. I hope he will look into it.

Now, one more point . . .

SHRI ARJUN ARORA : There also you are President.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : The employers have pull with the Government. Now, one more point. On the question of taxation I think there is some disparity. If the taxable wealth of an assessee is Rs. 1, 50,000/- the percentage of increase over 1970-71 rates is 300 per cent, but if the taxable wealth of an assessee is Rs. 5,00,000/- the percentage of increase over 1970-71 rates is only 25 per cent. This is disproportionate. Those who have less wealth should pay less tax, and those who have more wealth should pay more tax. Wealth-tax is 125 per cent of the income-tax in case the wealth of an assessee is Rs. 1,50,000/-. Wealth tax is 33 per cent of the income-tax in case the wealth of an assessee is Rs 5,00,000/-. This is disproportionate and against all principles of equity and justice. I hope the hon. Finance Minister will look into this.

#### ANNOUNCEMENT RE ARREST AND CONVICTION OF SHRI N. K. SHEJWALKAR, MEMBER, RAJYA SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that I have received the following communications dated the